



**राजस्थान-सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)**  
**(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)**



क्रमांक: F 61(349) SSAAT/ लोकपाल कार्यकाल वृद्धि / 2024 /

जयपुर, दिनांक As per E-sign

**कार्यालय आदेश**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2023 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर सोसायटी कार्यालय के आदेश दिनांक 20.04.2023 के द्वारा निम्न जिलों के लिए 02 वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल नियुक्त किए गए।

11 जिलों (अजमेर, करौली, टोंक, बारां, चूरु, धौलपुर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही एवं उदयपुर) में नियुक्त लोकपालों का दिनांक 10.03.2026 को आगामी 03 माह के लिए पूर्णरूपेण अस्थाई रूप से अथवा नए लोकपाल की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई गई थी। जो की दिनांक 08.06.2026 (अजमेर, करौली एवं टोंक) एवं 18.06.2026 (बारां, चूरु, धौलपुर, झालावाड़, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही एवं उदयपुर) को पूर्ण हो गई है। निर्देशानुसार निम्न 09 जिलों में नियुक्त लोकपालों की अवधि पुनः आगामी 03 माह (आदेश जारी होने की दिनांक से) के लिए पूर्णरूपेण अस्थाई रूप से अथवा नए लोकपाल की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई जाती है।

| क्र. सं. | जिले का नाम | लोकपाल का नाम                                                                                                         |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | अजमेर       | श्री सुरेश कुमार सिंधी पुत्र श्री पेरुमल सिंधी,<br>45-सर्वोदय कॉलोनी, जैन मंदिर के पास, पुलिस लाइन, जिला अजमेर        |
| 2        | करौली       | श्री रामबाबू शर्मा पुत्र श्री रतनलाल शर्मा,<br>थाने के पीछे मण्डरायल, जिला करौली, राजस्थान 322251                     |
| 3        | टोंक        | श्री पारस चन्द जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन,<br>गहलोत नर्सिंग होम के सामने, मेहन्दीबाग, जिला टोंक,                      |
| 4        | बारां       | श्री योगेश्वर प्रसाद नामदेव पुत्र श्री कैलाशचन्द नामदेव<br>मूकाम व पोस्ट शाहबाद, जिला बारां                           |
| 5        | चूरु        | श्री लालचन्द रैगर C/O श्री रामावतार दर्जी,<br>वार्ड नं. 32, बिसाउ रोड, जिला चूरु                                      |
| 6        | धौलपुर      | श्री ऐश्वर्य मुदगल पुत्र श्री मनोज मुदगल,<br>कृष्णा भवन, संतर रोड़, जिला धौलपुर                                       |
| 7        | झालावाड़    | श्री ओम प्रकाश चौधरी पुत्र स्व० श्री अमरलाल,<br>ए-22, कपिल वस्तु कॉलोनी, जिला झालावाड़                                |
| 8        | पाली        | श्री चैनसिंह पंवार, पुत्र श्री चत्तरसिंह,<br>67, हिम्मत नगर, जिला पाली                                                |
| 9        | प्रतापगढ़   | श्री भंवर सिंह खरवड पुत्र श्री चन्दनसिंह खरवड,<br>ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, गाडरियावास, धरियावद जिला प्रतापगढ़ |

श्री कन्हैया लाल, लोकपाल जिला सिरोही जिनका एक वर्ष के दौरान कार्य सम्पादन 50 प्रतिशत से कम होने तथा श्री मनोहर लाल ठठेरा, लोकपाल जिला उदयपुर जिनकी 68 वर्ष की आयु दिनांक 07.07.2026 को पूर्ण होने के कारण कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सांवर मल वर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही  
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

RajKaj Ref No.:  
23121707

M e-Sign



**प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
5. निजी सचिव, आयुक्त ई.जी.एस. राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT) जयपुर।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, सम्बंधित जिला।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सम्बंधित जिला परिषद।
10. संबंधित लोकपाल को पालनार्थ प्रेषित है।
11. प्रोग्रामर/सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।

**निदेशक (SSAAT)**